न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 24/2020
प्रविष्टि दिनांक — 26–2–2020

रमेश पुत्र बदरी गुर्जर निवासी ग्राम रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोक
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 11–12–2019

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय — **दिनांक 25–11– 2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 11–12–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.02 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में गैर मुमकिन तालाबी भूमि में मकान व परावंडा बनाकर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित रहे उन्हें आदेश से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई। राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि उक्त भूमि पर वर्षो से मकानात बने हुए है, जिसमें अपीलान्ट मय परिवार निवास करता आ रहा है। अपीलान्ट के पास उक्त मकानात के अलावा अन्य कोई मकान व स्थान नहीं है। अपीलान्ट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई साक्ष्य नहीं है, पटवारी के बयानों से पूर्व बेदखली का निर्णय या प्रतिवेदन प्रदर्शित नही हुआ है अपीलाधीन निर्णय को देखने मात्र से स्पष्ट है कि पूर्व बेदखली का कोई निर्णय या प्रतिवेदन अस्तित्व में नहीं है। क्योंकि निर्णय में पूर्व बेदखली के पत्रावली संख्या तथा दिनांक का कालम खाली छोड़ा हुआ है, इस प्रकार पश्चातवर्ती अतिक्रमण की साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में सिविल कारावास की सजा का निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर न्यायालय सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट के पास उक्त मकान के अलावा कोई अन्य मकान नहीं है यदि अपीलान्ट कब्जा छोड़ता है या उसके मकान को नष्ट किया जाता है तो उसका जीवनयापन करना मुश्किल हो जावेगाा तथा परिवार के लिए निवास स्थान व सुविधाऍ समाप्त हो जावेंगी। परन्तु फिर भी माननीय न्यायालय बेदखल करने व मकान को हटवाने का निर्णय देती है तो अपीलान्ट कब्जा छोड़ने तथा भविष्य में कब्जा या अतिक्रगमण नही करने का शपथ पत्र देने को तैयार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा कार्यवाही अन्तर्गत यधारा 91 रा0 ले0 रे0 एक्ट निरस्त की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/दण्डादेश निरस्त किया जावे तथा कार्यवाहरी अन्तर्गत धारा 91 राज0 लेण्ड रेववेन्यु एक्ट निरस्त की जावे।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.02 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में गैर मुमकिन तालाबी भूमि में मकान व परावंडा बनाकर अतिक्रमण का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने व तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्धारा पत्रावली सं0 1034/17 दिनांक 25–10–2017 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलाण्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1109 रकबा 0.02 है0,वाके ग्राम रोहित तह0 उनियारा में गैर मुमकिन तालाबी भूमि में मकान व परावंडा बनाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिकमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्धारा पत्रावली सं0 1034/17 दिनांक 25–10–2017 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। वैसे भी उक्त विवादित भूमि गै0मु0 तालाब है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है तथा धारा 16 में वर्णित भूमियां न तो नियमन की जा सकती है न ही आवण्टन की जा सकती है और न इन पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 11–12–2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
(राजस्थान)

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:56:08 IST
Reason: SelfAttested